संख्या- 39 / 2016/ वीआईपी-01 / चार-2016-226 (वि0)/2012 टीसी

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 ,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह /आडिटोरियम के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह / आडिटोरियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 2525.84 लाख पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार कर कार्य की लागत रू0 2314.27 लाख मूल्यांकित की गयी है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह / आडिटोरियम के निर्माण हेतु धनराशि रू0 2314.27 लाख की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण में धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत प्रेक्षागृह/ आडिटोरियम का रख-रखाव एवं संचालन जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा एक समिति बनाकर किया जायेगा और इस समिति में संस्कृति विभाग के संस्कृति निदेशालय तथा संग्रहालय निदेशालय के स्थानीय स्तर के अधिकारियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी । इस भवन के रख-रखाव तथा संचालन पर आने वाले व्यय का वहन हेतु सुसंगत नियमावली बनाकर किया जायेगा ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग /डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन में प्रस्तावित विद्युत सम्बन्धी कार्यमदों यथा- स्टेज लाइटिंग, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 सिक्योरिटी सिस्टम , ट्यूबवेल, जनरेटर तथा फर्नीचर/फर्नीशिंग आदि की लागत कोटेशन एवं एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित की गई है जिसे प्रभाग भी तद्नुसार परीक्षण किया गया है । अत: इन मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

नियमों के अन्तर्गत एवं न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय। इन मदों में वास्तविक व्यय ही देय होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्ततन जैसे नये कार्य बढाना ,प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि ,व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015 -16 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें -0104-मथुरा वृन्दावन के मध्य आडिटोरियम का निर्माण (के0 60/रा0 40-रा0) -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-149 /दस-2016 ,दिनांक 19 फरवरी,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - 39 / 2016 / वीआईपी-01 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4 - महा प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, गोमती नगर, लखनऊ ।
5 - परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-17, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, मथुरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।